(9)

राजस्थान सरकार
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः एफ–12 (8) एन.आर.एच.एम. / आयुष / 09 / 3528   दिनांकः 18-8.9

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिले।

विषय :– आयुष इन्टीग्रेशन के प्रभावी समन्वयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु दिशा निर्देश।
संदर्भ :– एफ–12 (9) / एन.आर.एच.एम. / आयुष / 08 / 143 दिनांक 9.1.09 एवं 2585 दिनांक 30.6.09

संदर्भान्तर्गत विषय में लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयुष इन्टीग्रेशन को प्रभावी बनाये जाने के क्रम में पूर्व में संदर्भित पत्रों के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इसी क्रम में प्रभावी आयुष समन्वयन एवं सुदृढ़ीकरण करने के लिए निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. जिन प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष चिकित्सक का पदस्थापन किया गया है उन प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष चिकित्सा केन्द्र (आयुर्वेद, होम्यो. एवं यूनानी जो भी हो) का बोर्ड लगाया जाये। इस संदर्भ में पूर्व में भी निर्देश जारी किये जा चुके हैं, अतः इसकी पालना सुनिश्चित की जावे, ताकि आमजन को अधिक से अधिक आयुष चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध होने की जानकारी मिल सके।
2. एन.आर.एच.एम. में पदस्थापित महिला आयुष चिकित्सकों को स्वास्थ्य केन्द्रों पर यथा संभव आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जावें।
3. जिन आयुष चिकित्सकों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित कार्यों हेतु क्षेत्रीय भ्रमण किया जाता है, उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
4. आयुष चिकित्सकों को मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (MRS) में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाये, ताकि आयुष चिकित्सक निर्णय प्रक्रिया में योगदान दे सकें।
5. एन.आर.एच.एम. में चयनित आयुष कम्पाउण्डर का पदस्थापन आयुष चिकित्सक के साथ ही किया जाये। यदि पूर्व में ऐसा नहीं किया गया है तो आयुष कम्पाउण्डर का स्थानान्तरण आयुष चिकित्सक के साथ करें ताकि आयुष चिकित्सक के द्वारा प्रभावी सेवाएं दी जा सके।
6. आयुष चिकित्सकों एवं नर्स / कम्पाउण्डर्स को आपातकालीन सेवाओं, प्रसव, A.N.C. एवं टीकाकरण हेतु प्रशिक्षण दिया जावे, ताकि उनके माध्यम से M.C.H.N. Day, सुरक्षित प्रसव आदि में प्रभावी सेवाएं दी जा सकें।

(वी. श्रीनिवास)
शासन सचिव प.क. एवं मिशन निदेशक

क्रमांकः एफ–12 (8) / एन.आर.एच.एम. / आयुष / 09 / 3528   दिनांक : 18 8.9

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर।
4. संयुक्त निदेशक (समस्त संभाग)।
5. जिला आयुर्वेद अधिकारी, समस्त जिले।
6. प्रभारी, सर्वर रूम।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव प.क. एवं मिशन निदेशक
एन.आर.एच.एम., जयपुर

D:\NRHM\AD (Ayush)\All CMHO F-12 (9)\29-5-09.doc